राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–243/2005

टीकम चन्द जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चांपानेरी, जिला अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 6500–10500 में वेतन स्थिरीकरण किया गया था। बाद में अपीलार्थी के वेतनमान में परिर्वतन कर 6500–10500 के स्थान पर 5500–9000 वेतनमान किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभागीय उप शासन सचिव ने निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र प्रस्तुत कर यह निर्देश दिये हैं कि ''अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 1.7.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500–10500) में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान (Personal Pay Scale) के रूप में प्राप्त होगा।

   यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. संख्या–101000397/एफ.डी./रूल्स/ 2010 दिनांक 02.06.2010 के अनुसरण में जारी की गई है।''

3. हमारे मत में उपरोक्त जारी निर्देशानुसार अपीलार्थी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पत्र दिनांक 04.06.2010 के अनुसरण में अपीलार्थी को लाभ दिये जाये और उनका वेतन कम नहीं किया जाये। साथ ही अपीलार्थी से किसी भी प्रकार की कोई वसुली नहीं की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)